कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-कटनी (म.प्र.)

क्रमांक / 152 / निर्वाचन / 2016 कटनी, दिनांक 07 ~~अप्रेल~~ 05 / 2016

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन
17 अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः– जिले के स्वीप प्लान – 2016 तैयार किये जाने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 56 / 09 / स्वीप / 2016 / 3223 दिनांक 03.03.2016

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जिले की स्वीप कार्ययोजना 2016 चाही गई है। कटनी जिले की स्वीप कार्ययोजना इस प्रकार :–

क्र.	**मुख्य उद्देश्य**	**स्वीप कार्ययोजना**
2.1	लिंग अनुपात (जेन्डर रेशो) की कमी दूर करना।	लिंग अनुपात (जेण्डर रेशों) की कमी को दूर करने के लिए जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के बूथ लेबल अधिकारियों / सुपरवाईजरों के माध्यम से अभियान के दौरान घर–घर जाकर ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराकर जेण्डर रेशों को दूर करने के प्रयास करना।
2.2	18–19 वर्ष आयु समूह में नामांकन बढाना।	18–19 वर्ष आयु के युवा पात्र मतदाताओं का नामांकन बढ़ाने के लिए सभी बूथ लेबल अधिकारियों / सुपरवाईजरों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों / महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में शत् प्रतिशत जोड़ने हेतु प्रयास करना।
2.3	शत्प्रतिशत निर्वाचको को एपिक कार्ड देना।	स्वीप पार्टनर विभाग, महिला बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची में युवा पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज कराने एवं लिंग अनुपात की कमी को दूर करने, प्रचार–प्रसार के माध्यम से मतदाता सूची में नामांकन बढ़ाने के प्रयास करना।
2.4	धुधली खराब गुणवत्ता, बिना फोटो के बनी हुई सूची व इपिक में अच्छी फोटो लगाना तथा देना।	मतदाता सूची में जिन मतदाताओं की फोटो धुंधली, खराब गुणवत्ता, जिनकी फोटो नहीं लगी उनकी फोटो बी.एल.ओ. द्वारा एकत्र कर मतदाता सूची में समाहित करने की कार्यवाही करना।
2.5	अशुद्धियों, त्रुटियों की पहचान तथा सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग कर इनको दूर करना।	मतदाता सूची में दर्ज अशुद्व त्रुटियों की जांच बी.एल. ओ / सुपरवाईजर के माध्यम से कराकर, ई.आर.एम.एस. साफटवेयर से भी मतदाता सूची में अशुद्व त्रुटियों की पहचान कर उनकों दूर करने के प्रयास करना।
2.6	मृत, स्थानांतरित बहुल प्रविष्ठियों को हटाना।	मृत, स्थानांतरित बहुल प्रविष्टियों को अभियान के दौरान बी. एल.ओ. / सुपरवाईजरों द्वारा उनकी पहचान कर, ई.आर.एम.एस साफटवेयर के माध्यम से हटाने की कार्यवाही करना।
2.7	निर्वाचको से सम्पर्क कर सम्पर्क विवरण फोन नंबर ई–मेल आदि इकट्ठे करना।	अभियान के दौरान बी.एल.ओ. / सुपरवाईजरों द्वारा मतदाता से संपर्क कर उनके फोन नंबर एवं ई–मेल आदि एकत्रित कराकर मतदाता सूची में मतदाताओं के मोबाईल, दूरभाष, ई–मेल की जानकारी प्रविष्टि करना।